न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :— रामसिह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा न0— 178/2018
जी.सी.एम.एस. नं. 2021/401

दर्ज दिनांकः— 05.07.2021
निर्णय दिनांक : 24.03.2022

पुष्पकँवर

बनाम

शंकरलाल आदि

अंतिम निर्णय

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.08.2021 को प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया गया कि ग्राम बामलास पटवार हल्का बामलास के भूमि ख.नं. 1502/785, 787, 788 कुल किता 3 कुल रकबा 3.8200 है0 में वादीया के हिस्से का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी/गुढा गौड़जी उभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें।

प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.08.2021 की पालना में तहसीलदार (भू.अ.) उदयपुरवाटी से पत्र कमांकः— भू0अ0/3165 दिनाक 17.11.2021 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर बहस श्रवण की गई। विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान सहमत है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में वाद को विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 17.11.2021 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 17.11.2021 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अंतिम डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:32:54 IST
Reason: SelfAttested